जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक–10.8.2015 को विधान सभा निर्वाचन–2015 की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष तथा निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिलाधिकारी द्वारा अपने प्रारंभिक सम्बोधन में सूचित किया गया कि विधान सभा निर्वाचन–2015 की घोषणा शीघ्र ही संभावित है और विशेषकर तब जब प्रथम चरण के चुनाव की तिथियों में दरभंगा जिला शामिल होता है, तब 35–40 दिनों के अन्दर सारी तैयारियों में सभी की काफी व्यस्तता होगी। अतः तत्संबंधी अधिसूचना जारी होने के पूर्व चुनाव पूर्व महत्वपूर्ण तैयारियाँ अभी से किया जाना जरूरी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए बैठक में मुख्य रूप से चुनाव कार्य के शांतिपूर्ण निर्बाध तथा सफलतापूर्वक संचालन हेतु त्रुटिहीन एवं फूलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा बुथ स्तरीय प्रारंभिक तैयारियाँ सुनिश्चित करने पर बल देते हुए निम्नांकित के बारे में विस्तृत चर्चा/समीक्षा की गयी और इस क्रम में सभी स्तरों पर सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित निदेश दिए गए:

01. मतदान केन्द्रों के सही नाम, स्थान, भवन को चिन्हित और सुनिश्चित करना तथा उसका सत्यापन करना।

02. सेक्टर का निर्धारण गत चुनाव से भिन्न होंगे जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार बुथों की संख्या के मद्देनजर सुनिश्चित किया जायगा। कुल मिलाकर 2363 मतदान केन्द्र हैं जिनमें आज की तिथि में अतिरिक्त सहायक मतदान केन्द्र भी जुड़ेंगे। गत चुनाव में 10 बुथों पर एक सेक्टर बना था किन्तु सेक्टर पदाधिकारियों के मानकों के अनुसार 15 बुथों पर एक सेक्टर का सृजन होगा। तदनुसार सभी निर्वाची पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सेक्टर के सृजन एवं मतदान केन्द्रों की सम्बद्धता कर प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन/ गोपनीय शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

03. अब तक सभी विधान सभा क्षेत्रों में कुल 107 सहायक मतदान केन्द्र प्रतिवेदित है, इस पर अंतिम रूप से सत्यापन कर निर्वाचन शाखा प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

04. गश्ती –सह–संग्रहण दल (पी.सी.सी.पी.) का सम्यक रूप गठन–चार–पाँच मतदान केन्द्रों पर एक PCCP का गठन कर प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा/ कार्मिक कोषांग में समर्पित की जाय।

05. मतदान केन्द्रों की सुरक्षा, मतदाताओं का सुलभतापूर्वक मतदान केन्द्रों पर पहुँच सुनिश्चित करना तथा विशेष तौर भेद्य मतदाता यथा अनु0 जा0/ज0जा0/कमजोर वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय को मतदान केन्द्रों पर मतदान हेतु निरापद पहुँच सुनिश्चित करना।

06 मतदान चूँकि 7.00 बजे प्रातः से 6.00 बजे संध्या अथवा जो भी समय आयोग द्वारा निर्धारित हो, जाड़े के दिनों में होना है, ऐसे में सभी बुथों पर रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसके लिए विद्युत विभाग से सभी मतदान केन्द्रों में विजली सम्बद्धता सुनिश्चित करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित भी किया गया है किन्तु फिर भी ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहाँ किन्हीं कारणों से विद्युत की की व्यवस्था नही हो सकती, वहाँ रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष ऐसे मतदान केन्द्रों की सूची भी बनाएँगे जिनमें विद्युत सम्बद्धता नही है। अन्य मौलिक आवश्यकता यथा–पानी एवं शौचालय की व्यवस्था भी की जानी है, खासकर ऐसी जगह जहाँ पूर्व से कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे मतदान केन्द्रों को चिहित कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तदनुसार आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

07. पूर्व से चिन्हित मतदान केन्द्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/थाना प्रभारी दें। खासकर तब जब मतदान हेतु प्रयुक्त भवन किसी प्रकार से Upgrade किए गए हों तथा पूर्व से निश्चित मतदान केन्द्र के बगल में अवस्थित हो। निजी स्कूलों में अथवा चलते मतदान केन्द्र रह हो अथवा पास ही सरकारी भवन [illegible]

निश्चित हो। इसे पूर्ण जाँच कर सुनिश्चित किया जाय। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी तैयार मतदान केन्द्र/सहायक मतदान केन्द्र सूची को अपने क्षेत्र के अनुसार परस्पर मिलान कर करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी RO के साथ भी बैठ कर उसका मिलान कर लें ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। थाना प्रभारी को भी यह स्मरण में रहनी चाहिए कौन सा बूथ उनके थाना क्षेत्र अंतर्गत है।

08. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष विधान सभा क्षेत्र का प्रखण्डवार, थानावार मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

09. गत विधान सभा निर्वाचन की अपेक्षा वर्त्तमान चुनाव में सेक्टर का निर्धारण अब 10 बुथों की सम्बद्धता के बजाय 15 पर निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक सेक्टर में दो छोटे–छोटे वाहन क्रमशः सेक्टर पदाधिकारी तथा सम्बद्ध एक पुलिस पदाधिकारी कर्णांकित होंगे तथा आवश्यकतानुसार छोटी वाहनों की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1–4 पुलिस बल होगा जिनमें मुख्य रूप से State Police Force तथा CPMF होंगे। अगर एक ही भवन में 6 मतदान केन्द्र होंगे तो 3–12 का बल लगाए जाएँगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता को पंक्तिबद्ध करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

11. सेक्टर दण्डाधिकारी के उपर थानावार जोनल दण्डाधिकारी उसके उपर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षण/निगरानी एवं नियंत्रण हेतु सुपर जोनल दण्डाधिकारी होंगे।

12. EVM के साथ 83–दरभंगा में VVPAT भी इस चुनाव में प्रयुक्त होंगे जो EVM से सम्बद्ध (attach) रहेंगे जिससे मतदान की सूचना/प्रिंट आउट आवश्यकतानुसार निकाली जा सकेगी। इसके लिए विशेष तैयारी/प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होगी।

13. सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में (शहरी क्षेत्र को छोड़कर) 10–10 कम्पनी सुरक्षा बल के ठहरने की व्यवस्था होनी है। इनमें SPF CPMF होंगे। वाहन कोषाग को उन्हें अधियाचना पर वाहन एवं ईंधन मुहैया कराना है। उनके ठहराव स्थल पर पर्याप्त कर्मी, पेयजल, पर्याप्त शौचालय एवं रोशनी की व्यवस्था संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष कराएँगे। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी इसका स्थल निरीक्षण करेंगे तथा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक–एक दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे।

14. 14.1 वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा की ओर से CPMF के कम्पनी कमाण्डेंट के साथ एक–एक संपर्क पदाधिकारी (Liaisoning officer) की कृपया प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

14.2 Force despatch plan की तैयारी का प्रस्ताव सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने स्तर से देंगे।

15. कुशेश्वरस्थान के तिलकेश्वर जैसे कठिन क्षेत्रों/ऐसे मतदान केन्द्रों जहाँ बिना नाव के पहुँच संभव नहीं है, वहाँ अच्छी नावों की व्यवस्था सर्च लाईट, लाईफ जैकेट्स, रस्सी की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित नाविकों की प्रतिनियुक्ति कराया जाना है। सम्बन्धित अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। मतदान दलों, पुलिस बलों आदि को ऐसे मतदान केन्द्रों तक पहुँचने में तथा उनके वापस लौटने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, यह करेंगे। नाव से गहन गश्ती कार्य किया जाना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य प्रखण्डों से बड़ी अच्छी नावों की अधियाचना अभी से कर लेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी यह सुनिश्चित कराएँगे।

16. अनुज्ञप्तिप्राप्त शस्त्र को अधियाचित विधि–व्यवस्था एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जमा करवाना है। वर्त्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए तथा शस्त्रों के प्रदर्शन और दुरुपयोग की आशंका/प्रबल संभावना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। अगर ऐसे शस्त्रों से इस दौरान किसी प्रकार की घटना होती है तो आदेश की अवहेलना के आरोप संबंधित थानाध्यक्ष पर आएँगे अतः वे ऐसे दुरुपयोग की सम्भावनावाले लाईसेंसी आर्म्स को जमा कराने का प्रस्ताव अविलंब भेजना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी राज्य की अन्य घटनाओं के वृतांत और उसकी पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे दृष्टिकोण

चिन्हित सभी अनुज्ञप्ति वाले शस्त्र जमा हो गए हैं। सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।

17. थानाध्यक्ष क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर कार्रवाई करेंगे तथा आवश्यकतानुसार/स्थिति के अनुसार वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना भी देंगे।

18. चुनाव के प्रत्याशी को प्रचार–प्रसार आदि कार्य के लिए याचित आज्ञा/अनुमति 24 से 36 घंटे के अंदर संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पदाधिकारी देंगे जिसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 'Single Window System' की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके अंतर्गत समय पर प्रत्याशियों को आज्ञा/अनुमति मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

19. संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी यह तय करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत कहाँ–कहाँ बड़े सार्वजनिक मैदान हैं, जहाँ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा सभा/सम्बोधन किया जा सकता है। वहीं हैलिकॉप्टर लैण्डिंग की जा सकती है? चुनावी सभा के लिए हर तरह से निरापद सभा स्थल ही चयनित हों, यह स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाना है। उच्च विद्यालयों में पठन–पाठन के समय सभा के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। सभा स्थल चयन के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर लेना होगा। अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से अंतिम रूप से तत्संबंधी चयन का निर्णय लिया जाएगा।

20. उपद्रवी तत्व शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें चिन्हित करते हुए **द०प्र०सं० की धारा 107 एवं 110 सी.आर.पी.सी तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) की धारा III एवं XII के तहत** कार्रवाई थानाध्यक्ष/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। लगभग 44 ऐसे मामले प्रतिवेदित हुए हैं जिनमें कुछ का निष्पादन भी हुआ है।

20.1 जिनके विरुद्ध पूर्व से शांति भंग के मामले हैं, उन पर **द०प्र०सं० की धारा 107, 110, 113** एवं 116 की कार्रवाई थानाध्यक्ष/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निश्चित रूप से होगी। यह कार्रवाई निर्विवाद और निरपेक्ष तरीके से हो। नाबालिग, बच्चा तथा बुढ़े अशक्त, महिला अथवा जो सर्वथा निर्दोष हों, इस कार्रवाई के दायरे में लाना सर्वथा अनुचित होगा। जो वास्तव में उपद्रवी तत्व हैं, सभी पर बराबर/पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए।

21. थाना प्रभारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी अपने सूचना तंत्र को चौकन्ना रखें। आसूचनाओं का दैनिक रूप से संकलन करें तथा उसके अनुसार आवश्यतानुसार त्वरित कार्रवाई करें।

22. चुनाव आचार संहिता का अनुपालन निर्वाचन आयोग के यथा दिशा निर्देश के आलोक में कराना सुनिश्चित करें। थाना प्रभारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया अवधि में राजनैतिक दलों के द्वारा वाहन से अवैध नगद राशि, शराब, हथियार आदि मतदाताओं को प्रभावित करने की दृष्टि से ले जाने के दृष्टांत रहे हैं। ऐसे में वाहनों की चेकिंग की जानी है। अवैध शराब के ठीकानों पर छापामारी/जप्ती की कार्रवाई, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों तथा निजी आवास की दीवारों पर अवैध रूप से लगे पोस्टर, होर्डिंग, बैनर एवं प्रचार–प्रसार हेतु दीवार लेखन को नियमानुसार संपत्ति विरुपण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हटाया जाना है। इसके लिए संबंधित राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं प्रखण्ड अध्यक्षों को उसे हटाने के लिए नोटिस जारी करना है और एक निश्चित तय तिथि के बावजूद अगर उसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति विरुपन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है तथा अविलंब प्राथमिकी दर्ज की जानी है। ऐसे दृष्टांत को अभी से चिन्हित किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों/जिलाध्यक्षों के बीच आज की बैठक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपरोक्त के बारे में सचेष्ट/आगाह भी किया गया है। सभी थानाध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के भीतर ऐसे सभी मामलों पर अंतिम कार्रवाई हो जाय।

22.1 छात्र संगठनों/कोचिंग सेंटर आदि संस्थानों के पोस्टर/होर्डिंग भी हटाए जाएँगे। नोटिस जारी करने पर अगर ये सभी आचार संहिता का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी कानूनी

कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थानाध्यक्ष इसे सुनिश्चित करायेंगे और इस कार्य में अपने स्तर से कोई चूक नहीं करेंगे।

23. निर्वाचन कार्य के निर्बाध एवं सफलतापूर्वक संचालन हेतु समाहरणालय में कई कोषांगों का गठन किया गया है जिनमें वरीय पदाधिकारी तथा नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं साथ ही कर्मियों को भी उक्त कार्य में सहायतार्थ प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी कोषांगों के सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मी निर्वाचन कार्यों का सम्यक रूप से निष्पादन एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कोषांग के कार्यों एवं दायित्वों की रूप रेखा बिंदुवार अंकित की गयी है जिस पर सम्यक रूप से पुरी तत्परता के साथ कार्रवाई की जानी है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों/अनुदेशों के आलोक में वांछित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है। सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने–अपने कोषांग के कार्यों का त्रुटिरहित, निर्बाध तथा सफलतापूर्वक संचालन करेंगे।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 3031 / लहेरियासराय, दिनांक 14-08-2015

प्रतिलिपिः वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा/बेनीपुर एवं बिरौल/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, दरभंगा/बिरौल एवं बेनीपुर को सूचनार्थ एवं सम्यक रूप से सभी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं सम्यक रूप से सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी निर्वाचक पदाधिकारी, विधान सभा निर्वाचन 2015 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः समाहरणालय स्थित सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, विधान सभा निर्वाचन–2015 /उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।